



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सत्र 2023-2025 इंटरमीडिएट / +2 कोर्स में नामांकन हेतु आपके ध्यान में सम्मिलित

प्रथम सूचना पत्र (First Intimation Letter)

23J7499559

सेवा में,

आवेदक / आवेदिका का नाम : JAYUSH GUPTA

पिता का नाम	माता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	आरक्षण श्रेणी	सीट/कक्षा
SHANISHU PRASAD GUPTA	REKHA GUPTA	04 Mar 2006	Male	Backward Class	6205473140
SRI : PUSA BAZAR NEAR KALI MANDIR					



- राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मंगलद्वारा सभी इंटरमीडिएट विभाग संलग्न में सत्र 2023-2025 में इंटरमीडिएट कक्षा में **OFSS (Online Facilitation System For Students)** प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु समस्त वर्ष में निर्धारित प्रक्रियाएं काले हुए 10वीं आगम समकक्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक- 17.05.2023 से 26.05.2023 तक OFSS के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन (CAIR) आवेदन-आवृत्ति किये गए थे, जिसे बाद में दिनांक 01.06.2023 से 07.06.2023, एवं दिनांक 08.06.2023 से 14.06.2023 तक दो बार विस्तारित किया गया था, तथा अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाई हुई दिनांक 17.06.2023 तक निर्धारित किया गया था।
- OFSS** के संलग्न से मंगलद्वारा प्राप्त उपर्युक्त कक्षा में +2 विद्यालय/महाविद्यालयों में इस प्रथम चरण सूची का निर्देश निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया गया है:-
 - विद्यालय/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध होकर को संलग्नकृत कुल संख्या,
 - निर्धारित द्वारा **OFSS Portal** पर जारी गए ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संलग्नक/संलग्नक का विवरण,
 - निर्धारित के कक्षा 10वीं का प्रत्यक्ष,
 - आवेदक समस्त राज्य सरकार के प्रभावी प्रमाण,
 - जैसे संलग्न में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, जैसा संलग्न में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि दूसरी की पढ़ाई हेतु विकल्प में अपने विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है) , का विवरण दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने मूल संलग्नक में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संलग्नक से उनका का विवरण नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चरण अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जाएगा। **किन्तु महाविद्यालय / संलग्नक के लिए वे उपलब्ध उनको अधिकतम सीटों का संलग्नक ही अनुमति है।** अर्थात् यदि किसी संलग्नक में अधिकतम सीटें संलग्नक (आवेदक कक्षा) से अधिक उती संलग्नक में निर्धारित ने दूसरी में नामांकन के लिए आवेदन दिए हैं तो वेले स्थिति में आवेदक कक्षा का सूची में उन से सीमित संख्या (अधिकतम सीटें संलग्नक के अनुसार) का ही उता संलग्नक में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जाएगा। **यदि विद्यार्थी (जो आवेदक कक्षा का सूची में नहीं है) को उनका का संलग्नक नहीं दिया गया है बल्कि उनको उनके द्वारा भी गये विकल्पों के आधार पर उता अन्य संलग्नक आवेदनित किया गया है।**
- आज उत्तीर्ण कक्षा-1 में अधिकतम सीटों के आधार में निर्धारित द्वारा द्वारा +2 कक्षा में नामांकन हेतु **प्रथम चरण सूची (First Selection List)** जारी कर दी गई है, जिसे संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय को उनके **Login ID** पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के जल-जल संलग्नक का **Cut Off Percentage** (आवेदक कक्षा) भी संबंधित के **Website** पर जारी कर दिया गया है, जिसे आवेदक / आवेदिका संबंधित के वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदक / आवेदिकाओं को उनके **Login ID** पर प्राप्त सूचना पत्र (**Intimation Letter**) जारी कर दिया गया है, जिसे वे **OFSS Portal** पर अपने **Reference ID / Barcode** संख्या एवं **Mobile Number** जांचकर इसे **Download** कर सकते हैं।
- सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-2025 सत्र के लिए दूसरी / +2 कक्षा में नामांकन हेतु जो आवेदक / आवेदिका के द्वारा आवेदन पर भेजा गया था, उनका **Reference ID / Barcode** संख्या **23J7499559** है। आवेदक / आवेदिका द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु दिए +2 विद्यालय / महाविद्यालय का विवरण दिया गया है, जिनमें से आवेदक / आवेदिका द्वारा भी गए प्राथमिकता के आधार पर, 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%), अंशकालीन एवं आगम मूल संलग्नक के सम्बन्ध में उपर्युक्त कक्षा-2 (र) के प्रमाण (यदि लागू हो तो) के आधार में द्वारा +2 में नामांकन हेतु **प्रथम चरण सूची (First Selection List)** में आवेदक / आवेदिका निर्धारित +2 विद्यालय / महाविद्यालय / संलग्नक आवेदनित किया जाता है:-

(क) +2 विद्यालय/महाविद्यालय का नाम :- **UMA PANDEY COLLEGE, PUSA, SAMASTIPUR**
(ख) संसाधन :- **Science**

- आवेदक / आवेदिका **OFSS Portal** पर जारी प्रथम चरण सूची (**First Selection List**) को डाउनलोड कर आवेदन +2 विद्यालय/महाविद्यालय में सम्पर्क स्थापित कर आगम नामांकन दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच अवसर प्राप्त है। अगर आवेदक द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो आवेदक अनपेक्षित रूप से दिए जाएंगे। यदि आवेदक / आवेदिका इस आवेदन +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संलग्नक के चयन नहीं है और अगर आवेदक / आवेदिका का चरण दिए गए विकल्पों के अनुसार संलग्नक में नहीं हुआ है तो आवेदक/आवेदिका दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 तक www.ofssbihar.in वेबसाइट पर जाकर **slide up option** की सुविधा दे सकते हैं। तब, द्वितीय चरण सूची में आवेदक द्वारा नामांकन हेतु प्राप्त गए उच्चतर विकल्प (**Higher Preference**) का विवरण/संलग्नक आवेदनित करने पर विचार किया जा सके। किन्तु यह **slide up** विकल्प तब तक लागू (valid) होगा, जब आवेदक/आवेदिका दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच प्रथम चरण सूची में आवेदनित (कक्षा-4 में आवेदन) +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन (**Admission**) कर लें। यदि आवेदक/आवेदिका इस चरण के दिनांक-4 में आवेदनित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में निर्धारित आवेदन में नामांकन नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा **Slide up** विकल्प करने पर भी इसको समस्त नहीं दी जाएगी तथा आवेदक/आवेदिका का आवेदन एवं सम्पत्ति (**Candidature**) रद्द कर दिया जाएगा।
- स्लाइड अप (Slide up) प्रक्रिया**- प्रथम चरण सूची में वर्गीकृत आवेदक/आवेदिका दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 तक आवेदनित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन उपलब्ध अपने द्वारा भरे गए उच्चतर विकल्प (**Higher Preference**) हेतु संलग्नक आगम आवेदन की सुविधा दे सकते हैं, जिससे दूसरे चरण सूची लेकर करने के समय उनके नाम पर विचार किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित आवेदन दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 तक वे अपने नामांकन वर्गीकृत संलग्नक/संलग्नक में अवसर प्राप्त करें। नामांकन नहीं करने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय चरण सूची में कोई विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् उनका नाम सूची में हटा दिया जाएगा और उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- प्रथम चरण सूची प्रकाशन के पक्ष पर द्वितीय चरण सूची (**Second Selection List**) प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालयों में नामांकन किया जाएगा।
- निदेश किया जाता है कि अगर अपने आवेदनित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संलग्नक में 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच अवसर नामांकन करते हैं तथा यदि आप इस आवेदनित कक्षा/संलग्नक में चयन नहीं है, तो 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच किसी भी दिन **slide up** विकल्प पर अपनी सुविधा दें, तब आपके आवेदन पर द्वितीय चरण सूची में आपके द्वारा दिए गए उच्चतर प्राथमिकता वाले विकल्पों पर विचार किया जा सके।

आवेदक निर्देश एवं सूचनाएँ

- आवेदक / आवेदिका आवेदनित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन हेतु निर्दिष्ट **Reference ID / Barcode** पुनः देने जाने में सम्मिलित पत्र (**Intimation letter**) एवं सूची में भी यह सामान्य आवेदन पत्र (**Common Application Form**) की प्रति निम्नलिखित रूप से ले जाएंगे।
- आवेदक / आवेदिका नामांकन करने के पूर्व आवेदनित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में उत्तीर्ण होकर मूलक तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदक / आवेदिका को सम्बंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के समय जाँच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना होगा, जो नामांकन के लिए आवश्यक है। जैसे 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय परीक्षा पत्र, प्रमाण प्रमाण पत्र, अवसर प्रमाण पत्र, परीक्षा अंशकालीन आवेदन के बीच इतर प्रमाण, जहाँ प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदनित +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा मंगी जाए।
- +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के पक्ष पर आवेदक द्वारा भेजा गया कि वे मूल अभिलेखों में से विद्यालय द्वारा निर्दिष्ट परीक्षा प्रमाण पत्र, परीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रमाण (**Migration**) प्रमाण पत्र सम्बंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा रख दिया जाएगा।
- नामांकन के समय अगर +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु कुछ अन्य अभिलेख की कोपी माँगी जाती है, तो नामांकन के पूर्व जाकर संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर लें तथा उन अभिलेखों को महाविद्यालय को उपलब्ध करावायें।

- आवेदक/आवेदिका को संलग्न दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य आवश्यकताओं के लिए उन्हे सम्बंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय से सम्पर्क करके बहिर्गम और नामांकन की प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर आवेदक आवेदक/आवेदिका आवेदनित विद्यालय संलग्नक में नामांकन नहीं लेते हैं तो बहिर्गम कर में उनका नाम **OFSS System** में हटा दिया जाएगा और जारी होने वाले द्वितीय चरण सूची में भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आज आवेदक सूचित किया जाता है कि जिस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन नाम आवेदनित हुआ है, अगर 27.06.2023 से 03.07.2023 तक उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में सर्वप्रथम नामांकन करता है। ऐसा करने पर आप द्वितीय चरण सूची जारी होने पर उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके निर्देश अपने नामांकन हेतु **slide up option** की सुविधा दी है। यदि आप निर्धारित प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए भी आवेदनित है तो उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन अवसर प्राप्त करने चाहिए, तब संलग्नक आगम का उपलब्ध किया जा सके और उसके आधार पर जारी होने वाले द्वितीय चरण सूची में आपके द्वारा दिए गए उच्चतर विकल्प के संलग्नक में नामांकन हेतु किया गया जा सके। अगर इस महाविद्यालय में वर्गीकृत होने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो संलग्नक आगम के बिना आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अगर आवेदक द्वारा सामान्य आवेदन पत्र (**Common Application Form**) में भरी गयी जानकारी कहीं कहीं त्रुटि निम्नलिखित के अंक (विद्यालय बोर्ड के अलग अंक बोर्ड के लिए) सम्बंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा प्राप्त पायी जाती है, तो उस स्थिति में उनका **Intimation Letter** संख्या: 23J7499559 (संलग्नक प्रमाण)।

नोट

- संबंधित +2 विद्यालय / महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र (**Intimation Letter**) पर अधिकतम संभव तक मिलान श्रेष्ठि द्वारा उपलब्ध कराएँ गये सूची से अवगत कर लें।
- किसी तरह की जानकारी हेतु कृपया सम्बंधित आवेदन महाविद्यालय अथवा **OFSS हेल्पलाइन** संख्या 0612 2230009 पर सम्पर्क करें।
- यह एक अनिवार्य पत्र है। अतः इस पर किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।